मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय
कार्यालयः टैगोर छात्रावास, श्यामला हिल, भोपाल–462002
दूरभाष एवं फैक्स : 0755–2660461, email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org

क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2020 / 93 दिनांक–24.01.2020

सूचना

(सत्र 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 के शुल्क विनियमन के संबंध में)

"मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम–2007" के तहत गठित प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश में स्थित निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं के द्वारा संचालित एवं किसी नियामक / निकाय यथा एम.सी.आई., डी.सी.आई., एन.सी.आई, सी.सी.आई.एम, पी.सी.आई. ए.आई.सी.टी.ई., एन.सी.टी.ई. एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया इत्यादि द्वारा अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का राज्य के निजी विश्वविद्यालय या किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध राज्य के निजी महाविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों का शुल्क विनियमन सत्र 2019–20 तक हो अथवा जिन संस्थाओं द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम का शुल्क विनियमन प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति से न करवाया हो ऐसे निजी विश्वविद्यालय एवं निजी महाविद्यालय के आगामी तीन साल के ब्लॉक अर्थात् सत्र **2020–21, 2021–22 एवं 2022–23** के शुल्क का विनियमन किये जाने संबंधी प्रस्ताव आमंत्रित करती है।

अतः मध्यप्रदेश में स्थित निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि "मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम–2007" के तहत प्रकाशित विनियम के अनुरूप सत्र **2020–21, 2021–22 एवं 2022–23** के लिये प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु शुल्क विनियमन के संबंध में निर्धारित आवेदन पत्र, प्रोफार्मा एवं निर्धारित परीक्षण / निरीक्षण शुल्क के साथ प्रस्ताव समिति की वेवसाईट www.afrcmp.org पर संस्था के लॉगिन आई.डी. (यूजर आईडी) के माध्यम से भरने की कार्यवाही करें। ऑनलाईन फार्म दिनांक 27.01.2020 से समिति की वेबसाईट www.afrcmp.org पर उपलब्ध रहेगा। निजी क्षेत्र की चिकित्सा / दंत चिकित्सा शिक्षण संस्थाओं में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के शुल्क विनियमन के लिए आनलाईन फार्म मार्च, 2020 के प्रथम सप्ताह अथवा काउंसलिंग प्रारम्भ होने के एक माह पूर्व दोनों में जो भी पहले हो तक तथा अन्य समस्त निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिये ऑनलाईन फार्म अप्रैल, 2020 के द्वितीय सप्ताह अथवा काउंसलिंग प्रारम्भ होने के एक माह पूर्व दोनों में जो भी पहले हो तक शुल्क विनियमन के लिये उपलब्ध रहेंगे। अन्य संबंधित जानकारी, परीक्षण / निरीक्षण शुल्क भरने की प्रक्रिया एवं निर्देश इत्यादि संस्थाओं को अलग से इस सचिवालय द्वारा सूचित किये जा रहे हैं।

समिति छात्र / अभिभावक / अधिकृत संस्थाओं को निजी संस्थाओं के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शुल्क विनियमन के लिए संबंधित संस्था / पाठ्यक्रम के संबंध में उनका अपना पक्ष / सुझाव भी आमंत्रित करती है। छात्र / अभिभावक / अधिकृत संस्थायें अपना सुझाव समिति की वेवसाईट www.afrcmp.org पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

सही / –
(सुखलाल सांगुले)
उप सचिव (तकनीकी)
प्रभारी विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी

Government of Madhya Pradesh
SECRETARIAT
Admission and Fee Regulatory Committee
(A statutory body established through an Act of Government of Madhya Pradesh)
Office: Tagore Hostel, Shyamla Hills,
Bhopal – 462002 Phone and Fax No. (0755) – 2660461
email: afrcmp@gmail.com, website: **www.afrcmp.org**

No. Sectt/OSD/2020/ 93 Dated : 24.01.2020

PUBLIC NOTICE

(For finalizing fee structure for sessions 2020-21, 2021-22 & 2022-23)

On behalf of Admission and Fee Regulatory Committee (AFRC) constituted under the Act **"Madhya Pradesh Niji Vyavsayk Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam 2007"**, all the Private Unaided Professional Educational Institutions situated in the State of Madhya Pradesh, running a professional course recognized by regulatory bodies like MCI, DCI, CCIM, NCI, PCI,AICTE , NCTE & Bar Council of India etc. and affiliated to Private University or other University situated in M.P., of which the fee is fixed upto 2019-20 or such institutes which have not got their fee regulated from Admission and Fee Regulatory Committee (AFRC) for the course approved, are invited to submit their proposal for regulation of fee for the next three years block i.e. 2020-21, 2021-22 & 2022-23.

It is therefore, hereby brought to the notice of all Private Unaided Professional Educational Institutions, situated in the State of Madhya Pradesh to submit their proposal online through login id (user id) of the institute in accordance with **"Madhya Pradesh Niji Vyavsayk Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam 2007"**, and rules framed thereunder, to Admission and Fee Regulatory Committee, for getting their fee regulated by the Committee for the sessions 2020-21, 2021-22 & 2022-23 on AFRC website i.e. **www.afrcmp.org.** The online form will be available on AFRC website i.e. **www.afrcmp.org** from 27.01.2020. The Online form for regulation of fees of P.G. courses conducted by unaided professional Medical / Dental Education institutions will be available till first week of March, 2020 or one month before the start of counseling, whichever is earlier and for all other professional courses conducted in Unaided Professional Educational Institutions till second week of April, 2020 or one month before the start of counseling, whichever is earlier. Other relevant information/instructions and process of submission of processing fee/inspection fee etc. are being communicated to the institute by AFRC separately.

AFRC also invites views/suggestions from students/guardians/authorized institutions in respect of the fee regulation of the professional courses run by Private Unaided Professional Educational Institutions. They can also submit their views/suggestions through website of AFRC i.e. **www.afrcmp.org.**

Sd/-
(Sukhlal Sangule)
Deputy Secretary (Technical)
I/C Officer on Special Duty